राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- अपील संख्या 469/2014/अलवर
- 2. अपील संख्या 470/2014/अलवर
- अपील संख्या 471/2014/अलवर
- अपील संख्या 472/2014/अलवर

मैसर्स नोकिया इण्डिया प्रा०लि०, भिवाडी अलवर। बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), अलवर।

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान प्रथम, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

....अपीलार्थी

खण्डपीठ श्री मदन लाल, सदस्य श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित :

श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक। श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर सेपत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26.04.2017

लगातार.....2

निर्णय

1. प्रस्तुत चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दि० 06.11.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26, 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.12.2012 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में से अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखे जाने को विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है:—

ने.वर्ष अन्तर कर	ब्याज
-10 13,47,189	5,25,404
	4,34,329
	1,28,357
-11	40,682
	-10 13,47,189 -11 16,08,226 -12 8,55,710 -13 4,52,026

- 2. इन चारों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक—एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।
- 3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—तृतीय, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत प्रथम, जयपुर द्वारा दिनांक 20.11.2012 को अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर पाया कि व्यवसायी कम्पनी द्वारा वर्ष 2009—10 से 2012—13 (दिनांक 30.10.12 तक) की अवधियों में की गई मोबाईल बैटरी की बिक्री पर मोबाईल पर देय कर के अनुसार ही 4/5 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राज्यकोष में जमा कराया जा रहा है, जबिक मोबाईल बैटरी आरवेट एक्ट, 2003 की अनुसूची—I to IV एवं अनुसूची VI में वर्णित वस्तुओं में कहीं पर भी दर्ज नहीं होने के कारण आलौच्य अवधियों में उक्त वस्तु पर अधिनियम की अनुसूची V के अनुसार सामान्य कर दर 14 प्रतिशत से करदेयता होने के आधार पर सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा प्रकरण में कर का अपवंचन/परिवर्जन पाया जाने पर अधिनियम की धारा 25 व 61 के अन्तर्गत अभियोग बनाकर अभियोग पत्रावली सक्षम अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 26, 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रत्युत्तर में वर्णित बिन्दुवार तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए बैटरी का उपयोग सेल्यूलर फोन में किये जाने मात्र से वह उसका पाटर्स नहीं

हों जाता है भले ही सेल्यूलर फोन के उपयोग में लेने हेतु बैटरी आवश्यक हो। इस संबंध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा सीटीओ बनाम मैं0 मैराथन इण्डिया लि0, जयपुर (अपील संख्या 485/2011/जयपुर) के प्रकरण में दिये गये निर्णय में यह अवधारित किया गया था कि बैटरी को अधिनियम की अनुसूची IV के पार्ट ए की प्रविष्टि संख्या 12 एवं 28 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होने के कारण इसे आलौच्य अवधियों में 14 प्रतिशत से करयोग्य मानते हुए क्रमशः 9/10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपीलें कर व ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की एवं शास्ति के बिन्दु पर स्वीकार करते हुए अपीलें आंशिक स्वीकार की। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

- 4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
- 5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा बैटरी को मोबाईल का पार्ट नहीं मानते हुए इसे अविशष्ट अनुसूची—IV के अन्तर्गत आच्छादित होना माना है जबिक उक्त वस्तु अधिनियम की अनुसूची IV के पार्ट—ए की प्रविष्टि संख्या 12 एवं 28 के अन्तर्गत आच्छादित होती है क्योंकि प्रविष्टि संख्या 12 में "Cellular Telephones अंकित है एवं प्रविष्टि संख्या 28 में Parts of 1 to 27 above अंकित है अर्थात बैटरी अधिनियम की अनुसूची—IV के पार्ट ए की प्रविष्टि संख्या 12 में अंकित "Cellular Telephones" का पार्टस होने से प्रविष्टि संख्या 28 में आच्छादित होती है, जिस पर आलोच्य अविधयों में कर देयता 4/5 प्रतिशत है न कि 14 प्रतिशत। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि मोबाईल बैटरी मोबाईल यंत्र का आवश्यक पार्ट है, जिसके बिना मोबाईल यंत्र कार्य नहीं कर सकता है। विशिष्ट मोबाईल बैटरी केवल मात्र विशिष्ट मोबाईल यंत्र में प्रयोग होती है एवं इसका अन्य कोई प्रयोग नहीं होता है। मोनिया की मोबाईल बैटरी केवल मात्र नोकिया मोबाईल यंत्र एवं विशिष्ट मॉडल में उपयोग होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आयुक्त बनाम जसवन्त सिंह चरण सिंह (1967) 19 एसटीसी 469 में प्रतिपादित किया है कि किसी वस्तु को उसके लोकप्रिय नाम के आधार पर ही मान्यता दी जानी चाहिये ना कि उसके तकनीकि अथवा वैज्ञानिक आधार पर।

अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. एसटीआर पिटीशन नं0 129/2012 मैराथॉन इण्डिया लि0 बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी पर निर्णय पारित किया गया है जिसके अनुसार बैटरी पर करदेयता 4/5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है। अतः उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

- 6. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
- 7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि नोकिया के मोबाईल के साथ विक्रय की गई बैटरी पर कर देयता किस दर से निर्धारित होगी। इस संबंध में हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. एसटीआर पिटीशन नं0 129/2012 मैराथॉन इण्डिया लि0 बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी पर निर्णय पारित किया गया है, जिसके अनुसार बैटरी पर करदेयता 4/5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय का सुसंगत विवरण निम्नानुसार है:—

In the case of Vikas Traders V. The State of Gujarat (supra), the court took into consideration as to whether batteries were component parts and there was a finding that batteries were being used for tractors as well, and tractor being not motor vehicle, therefore, claim of the Revenue was that different rate would apply, however, the court analysing the provisions, came to the conclusion that battery specifically falls as component part even though it has been used in a tractor and thus directed to apply the same rate.

The Allahabad High Court in the case of Tudor India Limited V. State of U.P.2014 SCC Online All 11944, had also a occasion of considering sale of automotive batteries and held that battery is an essential component for the functioning of tractor and is an integral part of tractor and, therefore, the same rate was required to be applied.

The Allahabad High Court in the case of Commissioner of Sales Tax V. Banaras Battery Works 1981 U.P.T.C 974, had an occasion to consider whether battery is an accessory or a part and it held that while an accessory has been held to be an article which is used for convenient and smooth functioning, whereas a battery caanot be said to be an accessroy rather a vehicle is not complete without battery as the vehicle cannot operate without a battery, therefore, battery is a component part of motor vehichle and held that same rate is applicable.

The judgment in the case of State of Uttar Pradesh & Anr. V. Kores(India) Ltd. (supra) was relating to ribbon used in a typewriter, and the court found as finding of fact that it was an accessory and not a part of typewriter(unlike spool), though it may not be possible to use the latter without the former. The apex court also found that typewriters are being sold in market without a typewriter ribbon and, therefore, typewriter ribbon si not an essential part of typewriter so as to attract a lower rate of tax, and facts are distinguishable as in the instant case it is an integral part of RCR and cannot be separated.

Taking into consideration the aforesaid and for the reason assigned, the claim of assessee, in my veiw, appears to be just and proper and the rate of 4% was rightly paid by the assessee and is not required to be interfered with. The petition succeeds and the order of Tax Board dt 28.03.2012 is reversed."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय इन प्रकरणों पर पूर्णतया बाध्यकारी एवं आच्छादित है। अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत बैटरी पर 4/5 प्रतिशत की दर से ही कर देयता विधिसम्मत है।

- 8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलों को स्वीकार किया जाता है एंव अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है। फलतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में आरोपित अंतर कर एवं ब्याज को निरस्त किया जाता है।
- 9. निर्णय सुनाया गया।

(के.एल. जैन) सदस्य

(मदन लाल) सदस्य